

फार्म 3
(नियम 54 (12) देखें)

परिवार का विवरण / Details of Family

1. सरकारी कर्मचारी का नाम :
2. पदनाम :
3. जन्म तिथि :
4. दिनांक/...../20.... को परिवार के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं./ Sl. No.	परिवार के सदस्यों के नाम Names of the member of family	जन्म तिथि Date of Birth	अधिकारी के साथ संबंध Relationship with the Officer	वैवाहिक स्थिति Marital Status	अभ्युक्तियाँ Remarks	कार्यालयाध्यक्ष के दिनांक सहित हस्ताक्षर Dated signature of Head of Office
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी प्रकार के परिवर्धन अथवा परिवर्तन की सूचना देते हुए मैं, उक्त जानकारी को अद्यतन रखूंगा/रखूंगी।

स्थान :

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

नोट 1- सरकारी कर्मचारी द्वारा जमा किया गया मूल फॉर्म अपने पास रखना होगा। सभी परिवर्धन/परिवर्तन इस फॉर्म में कॉलम सं.7 में कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत दर्ज किए जाने हैं। कोई भी नया फॉर्म मूल फॉर्म का स्थान नहीं लेगा। हालाँकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को फॉर्म 5 के साथ परिवार का विवरण नए सिरे से जमा करना होगा।

Note 1: The original Form submitted by the Government servant is to be retained. All additions/alterations are to be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Column 7. No new Form will substitute the original Form. However, the retiring Government Servant should submit the details of family afresh along with Form 5.

नोट 2- पति/पत्नी, सभी बच्चों और माता-पिता (पारिवारिक पेशन के लिए पात्र हैं या नहीं) और दिव्यांग भाई-बहन (भाई-बहन) का विवरण दिया जा सकता है।

Note 2: The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brother and sisters) may be given.

नोट 3- कार्यालयाध्यक्ष 'टिप्पणी' कॉलम में परिवार में शामिल होने या परिवर्तन के संबंध में संचार की प्राप्ति की तारीख का संकेत देगा। परिवार के किसी सदस्य की दिव्यांगता या वैवाहिक स्थिति में बदलाव से संबंधित तथ्य भी 'टिप्पणी' कॉलम में दर्शाया जाना चाहिए।

Note 3: The Head of Office shall indicate the date or receipt of communication regarding addition or alternation in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

नोट 4- पत्नी और पति में न्यायिक रूप से अलग हुए पत्नी और पति शामिल होंगे।

Note 4: Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.